UPGK010023022026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-4, गोरखपुर।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-977/2026

सूफियान अख्तर पुत्र इस्तामुल हक उर्फ इस्लामुल हक, निवासी जामिया नगर, रसूलपुर, गोरखनाथ, जिला गोरखपुर।

.......................आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..............................विपक्षी।

मु0 अ 0 सं0–170/2025
अन्तर्गत धारा–303(2),317(2),317(4),
317(5),3(5) भा0 न्या0 सं0
थाना–जी०आर०पी०, जनपद–गोरखपुर।

<u>दिनांक–19.03.2026</u>

आवेदक/अभियुक्त सूफियान अख्तर की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है, जिसमें वह न्यायिक अभिरक्षा में है। जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि इस न्यायालय में आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय में लंबित अथवा विचाराधीन नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उसका जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 11.02.2026 को खारिज किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रोजाउद्दीन द्वारा दिनांक 19.07.2025 को थाना जी०आर०पी० में इस आशय की लिखित तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज करायी कि वह दिनांक 19.07.2025 को अपने लड़के रफीक को रेलवे स्टेशन, गोरखपुर छोड़ने आया था, समय करीब 11 बजे यात्रीहॉल में उसका मोबाईल किसी ने चौरा लिया है। जिसका IMEI No. 868218078243358/341 है।

जमानत हेतु आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वह निर्दोष है। उसने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे असत्य व निराधार कथनों के आधार पर मनगढंत कहानी के आधार पर झूठी बरामदगी दिखाकर फंसाया गया है। उसके कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है। बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। सहअभियुक्तों की जमानत पूर्व में न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्राथमिकी अंतर्गत धारा 303(2) भा0 न्या0 सं0 में दर्ज होकर उक्त धारा में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। जबकि धारा 317(4) भा0 न्या0 सं0 हेतु दो या दो से अधिक अपराधों में दोषसिद्धि अनिवार्य है, जोकि इस मामले में नहीं है। उसके विरुद्ध आयत अपराध की धाराएं आयत नहीं होती हैं। वह प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 20.07.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का प्रबल विरोध करते हुए आवेदक के अपराध को अजमानतीय व गंभीर बताते हुए उसके जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी तथा अन्य अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से प्रकट है कि आवेदक/अभियुक्त सूफियान अख्तर पर सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा का मोबाईल चुराने तथा उसके कब्जे से अन्य घटनों में चुराये गये मोबाईल बरामद होने तथा उसके चोरी की संपत्ति के अभ्यासतः व्यापार व व्ययन में लिप्त होने का आक्षेप है, जिससे उसके द्वारा इनकार किया गया है। कथित बरामदगी का कोई जन साक्षी होना नहीं बताया गया है। बरामदगी की सत्यता अथवा असत्यता साक्ष्य का विषय है। थाना आख्या के साथ आवेदक/अभियुक्त का 5 अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास होना बताया गया है। सुस्पष्ट विधिक स्थिति है कि मात्र अभियुक्त के पूर्व आपराधिक इतिहासों के आधार

पर ही जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण नहीं किया जाना चाहिए। सहअभियुक्त की जमानत पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है। वह प्रकरण में दिनांक 20.07.2025 से जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इसके गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना न्यायालय के मत में आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

तदनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त सूफियान अख्तर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/– रू0 का स्वबंधपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभूतियां संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टिनुसार निष्पादित करने पर उसे निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जावे किः–

1– अभियुक्त साक्षी व साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा।

2– विचारण में सहयोग करेगा तथा आरोप विरचन, बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं०, निर्णय व अन्य कार्यवाही के समय जब उसे विशिष्ट रुप से व्यक्तिगत उपस्थिति हेतु आदेशित किया जाएगा, वह बिना किसी स्थगन के उपस्थित रहेगा।

दिनांक–19.03.2026

(प्रभारी अधिकारी)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–4,
गोरखपुर।

Digitally signed by SHAMIM AHMAD ANSARI
Date: 2026.03.19 16:02:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court